

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/106/2024

रजू दिनांक: 22.08.2024

रजि0 न0 2024/194

अपीलार्थी:-

श्री महेश चन्द यादव पुत्र श्री हीरालाल यादव,
निवासी हाउस नं0 363, खेडा का बास, शिव
मन्दिर, ग्राम लीली तह0 मालाखेड़ा, जिला अलवर
राज0 -301001

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर
(राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 28.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते हैं तो दिनांक 02.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से ई-मेल जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा RTI Online Portal पर आवेदन सं 293520228569540 दिनांक 13.07.2024 के माध्यम से ग्राम-देवखेडा, पटवार देवखेडा, तह0 अलवर के आ.ख.नं. 20/656 में से विक्रय किए गए समस्त रजिस्ट्रियों की प्रति के संबंध में सूचना चाही गई थी जो कि इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होने के कारण, उप-पंजीयन द्वितीय, अलवर कार्या0 से संपर्क स्थापित करने/पृथक से सूचना आवेदन प्रस्तुत करने बाबत ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 2957601347 दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचना आवेदन खारिज किया जाकर सूचित किया जा चुका है, तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः भिजवाई जा रही है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम अपील के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को RTI Online Portal पर आवेदन संख्या 293520228569540 दिनांक 13.07.2024 के संबंध ऑनलाईन पोर्टल पत्र संख्या 2957601347 दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/1978 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)